उत्तर प्रदेश शासन
कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग-1
संख्या- 01 /2024/558/80-1-2023-80-1003(002)/3/2023
लखनऊ; दिनांक 01 जनवरी, 2024

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 1964) की धारा 40 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी नियमावली, 1965 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (अट्ठाइसवां संशोधन) नियमावली, 2023

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1.(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (अट्ठाइसवां संशोधन) नियमावली, 2023 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम 70 का संशोधन

2. उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी नियमावली, 1965 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम 70 के उपनियम (4) के खण्ड (एक) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
(एक) नियम 67 के अधीन नियत शुल्क की धनराशि के साथ ऐसा प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर मण्डी समिति उसे प्रार्थित लाइसेंस जारी कर सकती है यदि,- (क) उसका यह समाधान हो जाये कि प्रार्थी ऋण दिवालिया नहीं है; (ख) उसका यह समाधान हो जाये कि प्रार्थी उपयुक्त व्यक्ति है और उसे लाइसेंस दिया जा सकता है:	(एक) नियम 67 के अधीन नियत शुल्क की धनराशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करने पर, मण्डी समिति आवेदक को लाइसेंस जारी कर सकती है यदि,- (क) उसका यह समाधान हो जाये कि आवेदक ऋण दिवालिया नहीं है; (ख) उसका यह समाधान हो जाये कि आवेदक उपयुक्त व्यक्ति है जिसे लाइसेंस दिया जा सकता है: प्रतिबन्ध यह है कि उपखण्ड (क) के

प्रतिबन्ध यह है कि उपखण्ड (क) के उपबन्ध तौलक, मापक, पल्लेदार, ट्रक चालक एवं ठेला वालों पर लागू नहीं होगें।

(ग) लाइसेंस हेतु आवेदन पत्र, नियमों एवं उपविधियों द्वारा यथाविहित फीस एवं संलग्नकों सहित प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर समिति ऐसे लाइसेंस को स्वीकृत या अस्वीकृत करने के सम्बन्ध में लिखित रूप में सकारण आदेश द्वारा निर्णय लेगी और उसके सम्बन्ध में आदेश को संसूचित करेगी।

उपबन्ध तौलक, मापक, पल्लेदार, ट्रक चालक एवं ठेला वालों पर लागू नहीं होंगे।

(ग) लाइसेंस हेतु संलग्नक तथा शुल्क और ऐसी विशिष्टियॉ जैसा कि नियमों/ उपविधियों द्वारा विहित की जायं, सहित आवेदन पत्र प्राप्त होने पर, समिति, आवेदन पत्र प्राप्ति के दिनांक से 30 दिनों के भीतर ऐसे लाइसेंस को स्वीकृत या अस्वीकृत करने के लिए लिखित रूप में सकारण आदेश द्वारा निर्णय लेगी और इसे आवेदक को संसूचित करेगी:

प्रतिबंध यह भी है कि इस नियम के उपनियम (1), (2), (3) एवं (4)(1)(क), (ख) तथा (ग) अन्य राज्य के व्यापारियों पर लागू नहीं होंगे और यदि किसी अन्य राज्य के व्यापारी, जो उस राज्य की किसी मण्डी समिति के वैध लाइसेंसधारी हैं, राष्ट्रीय पोर्टल (ई-एन.ए.एम. पोर्टल या केन्द्र सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य पोर्टल) के माध्यम से लाइसेंस हेतु आवेदन करता है तथा उस राज्य की मण्डी समिति द्वारा सिफारिश की जाती है; तो मण्डी समिति किसी अन्य दस्तावेजों की माँग किये बिना या किसी लाइसेंस शुल्क तथा अग्रिम धनराशि को जमा कराये बिना 03 दिन के भीतर लाइसेंस जारी करेगी। ऐसे लाइसेंसधारकों के संबंध में अग्रतर मार्गदर्शी सिद्धान्त, राज्य सरकार की अनुज्ञा से सम्बंधित राज्यों के मण्डी परिषद तथा निदेशक मण्डी परिषद,

उत्तर प्रदेश की सहमति के आधार पर हस्ताक्षरित एम.ओ.यू. के माध्यम से जारी किये जायेंगे।

आज्ञा से,

डॉ0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 01 /2024/2023/558(1)/80-1-2023-80-1003(002)/3/2023, तद्दिनांक।

1- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3- निदेशक, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय, लखनऊ।
4- निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, लखनऊ।
5- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7- संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को उपरोक्त अधिसूचना की अंग्रेजी अनुवाद की प्रति दिनांक 01 जनवरी, 2024, इस आशय से प्रेषित कि असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग-4 के खण्ड 'क' में प्रकाशित कराकर अधिसूचना की 500 प्रतियां शासन को भेजने का कष्ट करें।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

01/01/2024

(ऋषिरेन्द्र कुमार)
विशेष सचिव।